17. याचिकाकर्ता के वकील ने भी इस बात पर गंभीरता से जोर नहीं दिया कि जहां बड़ी इमारत का कोई भी या यहां तक कि एक अनंत हिस्सा मानव निवास के लिए असुरक्षित या अयोग्य हो गया है, जो मकान मालिक को किरायेदार को बाहर निकालने का अधिकार भी देगा । इस तरह के प्रस्ताव के समर्थन में न तो सिद्धांत और न ही मिसाल का हवाला दिया जा सकता है। इस प्रकार इसे अस्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

18. निष्कर्ष निकालने के लिए, उपरोक्त पैरा 2 में दिए गए प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है और यह माना जाता है कि यदि एकीकृत बड़ी इमारत का उप-स्थायी हिस्सा मानव निवास के लिए असुरक्षित और अनुपयुक्त हो गया है, तो किरायेदार को अधिनियम की धारा 13 (3) (ए) (iii) के तहत मृत्यु से बाहर निकाला जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद किउसके व्यवसाय में विशेष हिस्सा ऐसा नहीं हो सकता है।

19. उपरोक्त शर्तों में संदर्भित कानूनी प्रश्न का उत्तर, संशोधन अब एक विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उसके अनुसार गुण-दोष पर निर्णय के लिए वापस जाएगा।

जी.सी. मितल, मैं सहमत हूँ.

एन.के.एस.

पूर्ण बेंच

सामने; एस. एस. संधावालिया, सी.जे., पी.सी. जैन, आई.एस.

राधे शाम और अन्य, - *याचिकाकर्ता।*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, *उत्तरदाता।*

सिविल रिट याचिका सं. 1981 *का* 3755।

4 अगस्त, 1982।

*भूमि अधिग्रहण अधिनियम (*1894 का I) - धारा I *s 3 (b),* 4, 6, और 9 - *भारत का संविधान* 1950 - *अनुच्छेद* 226 - *भूमि अधिग्रहण समर्थक - धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद खरीदी* गई भूमि - *भूमि का खरीदार- क्या कोई 'इच्छुक व्यक्ति'* है

राधे शाम और अन्य वी। राज्य 0/ हरियाणा और अन्य
(एस.एस. संधावालिया, सी.जे.)

धारा 3(ख) के अर्थ के भीतर- *क्या क्रेता* को कार्यवाही को चुनौती देने का अधिकार है- *अधिग्रहण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देने में लंबी और अप्रत्याशित* देरी- राज्य *द्वारा शक्ति के बेरंग प्रयोग का प्रमाण क्या है- रिट क्षेत्राधिकार- क्या इसके लिए आवेदन किया जा सकता है? इस आधार पर कार्यवाही को रद्द करना - राज्य द्वारा इस तरह की कार्यवाही को अंतिम रूप देने में लंबे समय से अस्पष्ट देरी के आधार पर एक रिट याचिका द्वारा अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती देना - रिट याचिकाकर्ता - क्या ऐसी परिस्थितियों में दोषियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता* है - प्रमाण *पत्र की रिट - क्या ऐसे मामलों में उचित राहत है।*

यह माना गया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 3 (बी) के तहत 'इच्छुक व्यक्ति' की वैधानिक परिभाषा व्यापक रूप से निहित है और इसमें स्पष्ट रूप से किसी भी व्यक्ति को शामिल किया गया है, जो मुआवजे में रुचि का दावा करता है और यहां तक कि इसके दायरे में किसी भी आसानी में रुचि रखने वाले व्यक्ति को भी शामिल करता है।भूमि को प्रभावित करता है। . अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता भूमि के खरीदार होने के कारण हकदार हैं और किसी भी मामले में अधिग्रहित भूमि के अधिग्रहण में रुचि रखने का दावा करते हैं। इसलिए, वे स्पष्ट रूप से धारा3 (बी) के दायरे में आते हैं और सिद्धांत रूप में यह कहना आसान नहीं होगा कि मुआवजे में रुचि रखने वाले व्यक्ति के पास अधिग्रहण को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। एक बार फिर इस तर्क को खारिज किया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता रिट याचिका दायर नहीं कर सकते क्योंकि वे धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद केवल भूमि के खरीदार हैं- यह स्पष्ट होगा कि केवल इसलिए कि याचिकाकर्ताओं ने अधिसूचना के बाद भूमि खरीदी है, वे कुछ नहीं कर सकते हैं उन्होंने अपने पूर्ववर्ती-इन-इंटरेस्ट की तुलना में कम कीमत पर निवेश किया। इस प्रकार रिट याचिकाकर्ताओं के *अधिकार क्षेत्र* में चली गई कार्रवाई असमर्थनीय है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। (पैरा 6 और 7)।

यह माना गया है कि जहां राज्य की ओर से घोर विलंब स्वयं कार्यवाही को बाधित करने का आधार है, वहां अधिग्रहण शुरू होने के बादलंबे समय के बाद रिट क्षेत्राधिकार में प्रतिवादी गैर-उपयुक्त नहीं हो सकता है, लेकिन अब तक यह प्राथमिक है कि रिट क्षेत्राधिकार सतर्क लोगों के लिए है और जो वादी अपने अधिकारों पर अनावश्यक रूप से सोता है, उस पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। इस मंच, तथापि, यह भी उतना ही स्पष्ट प्रतीत होता है कि जहां कार्रवाई का कारणस्वयं पूरी तरह से या आंशिक रूप से राज्य के अव्यक्त विलंब और शिथिलता के आरोपों से उपजा है, वहां इस संबंध में शिकायत करना राज्य के मुंह में शायद ही हो सकता है। इस मामले की कुछ विस्तार से जांच करने के बाद, यह संभव है कि जो मूल रूप से शुरू किया गया था, अधिग्रहण प्रस्तावसतही रूप से सामान्य प्रक्रिया में अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत हो सकता है। हालांकि, किसी भी सार्थक सार्वजनिक उद्देश्य की अनुपस्थिति, या इसके शीघ्र निष्पादन को अधिग्रहण में सकल निष्क्रियता से स्पष्ट रूप से नकारात्मक किया जा सकताहै। वास्तव में राज्य द्वारा इतनी लंबी शिथिलता और अस्पष्ट देरी अपने आप में इस निष्कर्ष की ओर इशारा करेगी कि मूल कार्यवाही की शुरुआत बहुत कम है।

सार्वजनिक उद्देश्य के लिए तत्काल या मजबूर करने योग्य सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करने और इसके निष्पादन के लिए निर्देशित किया जाना, धारा 4 के प्रावधानों का दुरुपयोग करने और भविष्य में उत्पन्न होने वाली कुछ अस्पष्ट अनिर्दिष्ट आवश्यकता की छाया में भूमि की कीमतों को कम करने का एक उपकरण था। वास्तव में यह इस तरह का अत्यधिक विलंब होगा जो मूल रूप से power.lt के प्रामाणिक अभ्यास के रूप में प्रतीत हो सकता है, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि जहां लंबे समय तक अस्पष्ट देरीशक्ति के बेरंग प्रयोग के आधार पर हमले के लिए एक आधार है, वहां राज्य के लिए यह दावा करना व्यर्थ होगा कि रिट याचिकाकर्ता कोबिल्कुल उसी समय न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। अधिग्रहण की कार्यवाही की शुरुआत। (पैरा 10)।

यह माना जाता है कि यह इतनी अच्छी तरह से तय है कि शक्ति का रंगीन प्रयोग हर कार्रवाई को खराब कर देगा। यदि रिट अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि क़ानून के तहत कोई भी कार्रवाई *वास्तविक* नहीं है, बल्कि केवल प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग या दुरुपयोग है, तो उसके पास इसे रद्द करने की शक्ति है और वास्तव में अधिग्रहण कार्यवाही सहित ऐसा करना उसका कर्तव्य है।

(पैरा 15 और 16)।

माना जाता है कि निष्पादन कार्यवाही के संदर्भ में देरी को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है (i) धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करना और धारा 6 के तहत। (ii) धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने की तारीख और दावेदारों की धारा 9 के तहत नोटिस जारी करना; और (iii) धारा 19) के तहत नोटिस की तारीख से लेकर कलेक्टर द्वारा पुरस्कार प्रदान करने तक। जहां तक श्रेणी (i) का संबंध है, अधिनियम की धारा 6 में यह प्रावधान है किधारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद धारा 6 के अधीन कोई घोषणा नहीं की जाएगी। इसलिए, अंतिम परिणाम यह है कि अब इस वैधानिक जनादेश के आधार पर, धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने में तीन साल से अधिक की देरी कार्यवाही को पूरी तरह से शून्य बना देगी। श्रेणी (ii) पर आते हुए, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 6 (1) के परंतुक का उद्देश्य अधिग्रहण कार्यवाही को पूरा करने में देरी को कम करना था। यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस क्षण धारा 6 अधिसूचना निर्धारित समय के भीतर जारी की जाती है। पूरी तरह से गैर-कार्रवाई और अस्पष्ट देरी को पूरी तरह से विचार से मिटा दिया जाएगा। इसलिए, यह होना चाहिए। यहां यह निष्कर्ष निकाला जाए कि धारा 6 के तहत विलंब, धारा 6 के तहत कोई संशोधन और नोटिस • धारा 9 के तहत कार्यवाही की परिभाषा से समग्र संदर्भ में देखा जाना चाहिए, न कि केवल धारा 6 अधिसूचना की तारीख के संकीर्ण टर्मिनस से। श्रेणी (iii) की बात करें तोधारा 9 के अंतर्गत नोटिस जारी करने के चरण तक और उसके बाद अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाहियों में कोई ठोस या गुणात्मक अंतर नहीं है। वास्तव में, अधिनियम के भाग-II, जिसमें धारा 4 से 18 तक निहित हैं, पर एक नज़र डालने से यह संकेत मिलता है कि ये सभी प्रावधान केवलएक अभिन्न अंग के अनुरूप हैं। धारा 6 तक की कार्यवाही के संबंध में कोई कृत्रिम या काल्पनिक रेखा नहींखींची जा सकती है।

धारा 9 और उसके बाद आने वाले प्रावधान। कलेक्टर द्वारा अधिनिर्णय दिए जाने के समापन तक की कार्यवाही तक,अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एक एकीकृत संपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे कृत्रिम रूप से आंशिक नहीं किया जा सकता है या किसी भी मामले में नहीं किया जाना चाहिए। धारा 9 के तहत नोटिस जारी किए जाने के बाद भी अत्यधिक विलंब समान रूप से अपरिहार्य है और शक्ति के रंगीन प्रयोग के मूल मुद्दे को निर्धारित करने में विचार करने के लिए उपयुक्तहै। इसलिए, यह अनिवार्य रूप से इस प्रकार है कि अधिग्रहण की कार्यवाही को शक्ति के रंगीन प्रयोग के आधार पर चुनौती देने का अर्थ यह है कि सरकार कोपूरे मामले का समग्र परिप्रेक्ष्य लेना होगा और अधिग्रहण के विभिन्न चरणों के आधार पर किसी भी वित्तीय विभाजन के बावजूद।

(पैरा 17, 19, 22, 24, 25 और 26)।

यह माना गया कि परमादेश की रिट केवल तभी जारी की जा सकती है जब एक प्राधिकरण पर स्पष्ट सार्वजनिक अधिकार रखा गया हो और याचिकाकर्ता को इसे लागू करने का समान रूप से स्पष्ट अधिकार हो। बेशक, अधिनियम में ऐसी कोई सीमा नहीं दी गई है जिसके भीतर अनुच्छेद 4 के तहत अधिसूचना की तारीख से अधिग्रहण की कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जाना है। इस प्रकार एक सख्त निर्धारित समय के भीतर कार्य करने का कोई वैधानिक कर्तव्य नहीं है। इसके अलावा, प्रतिवादी-राज्य कभी भी उस समय तक भूमि का अधिग्रहण करने के लिए वैधानिक कर्तव्य के अधीन नहीं है जब तक कि वह उसमें निहित न हो जाए। इसलिए, इस संदर्भ में कोई परमादेश शायद ही झूठ बोल सकता है क्योंकि यह राज्य के लिए हमेशा खुला रहेगा कि वह अधिग्रहण करने के लिए कोई कानूनी दायित्व नहीं है और किसी भी मामले में किसी भी समय अधिग्रहण से पीछे हटने पर विचार कर सकता है। इसके अलावा, शक्ति के रंगीन प्रयोग के मामले में- संभवतः उचित राहत प्रदान नहीं कर सकता है; केवल उन बहुत कम कीमतों पर मुआवजा सुनिश्चित कर सकता है जिनके बारे में किसानों कोशिकायत है। वास्तव में, एक बार जब यह निष्कर्ष निकल जाता है कि वास्तव में शक्ति का प्रयोग केवल एक दुरुपयोग था और एक रंग योग्य था, तो एकमात्र उपयुक्त उपाय यह है कि लागू की गई कार्रवाई को रद्द करके प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

(पैरा 31, 32 और 33)।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत संशोधित याचिका में *प्रार्थना की गई है कि* मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और *समानता, न्याय और निष्पक्ष खेल के हित में, यह माननीय न्यायालय प्रसन्न हो सकता है:*

(a) दिनांक 5 अगस्त, 1981 के प्रत्यारोपित नोटिस को रद्द करने के लिए सर्टिओररी रिट जारी करना *(अनुलग्नक प.* 6) *उत्तरदाता संख्या 6 द्वारा जारी किया गया। 6. खसरा नं 1 में शामिल भूमि के पुनर्निर्धारण में पुरस्कार देने के लिए।* 21/2 (1-16) *और* 22/1 (2-। आयत संख्या 1) 68 *याचिकाकर्ताओं के स्वामित्व वाली बल्लभगढ़ की राजस्व संपत्ति के भीतर स्थित है।*

(b) *प्रतिवादी संख्या 1000 को निर्देश देते हुए एक रिट ऑफ मैंडामस जारी करना।* अधिनियम की धारा 11 के *तहत निर्णय देने* और *खसरा संख्या 2 में शामिल याचिकाकर्ताओं की उपरोक्त भूमि का कब्जा लेने* से रोकना। *आयत संख्या* 21/2(1-16) *और* 22/1(2-1) (ख) दिनांक 5 अगस्त , 1981 के *आक्षेपित नोटिस के अनुपालन में अधिनियम की धारा* 16 के अंतर्गत कुल मिलाकर 3 *कनाल* 17 *मरला* जल को *मापने वाले कुल* 68 *(अनुपत्र प.* 6) अधिनियम की धारा 9 के *तहत जारी* किया गया *है और किसी भी तरह से उपरोक्त भूमि पर याचिकाकर्ताओं के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकता है।*

(c) *कोई भीउचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जिसके लिए याचिकाकर्ता मामले के दायरे में हकदार पाए जाते हैं।*

(d) *रिट याचिका के साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न* दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट देना।

(e) *प्रतिवादियों के खिलाफ याचिकाकर्ताओं को इस रिट याचिका की* लागत देने के लिए।

(f) *प्रतिवादियों पर रिट याचिका के नोटिस की सेवा की आवश्यकता को समाप्त करना।*

यह भी प्रार्थना की जाती है कि एक अंतरिम आदेश जारी किया जाए जिसमें आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए। (ख) *भूमि अर्जन अधिनियम,* 1894 की धारा 9 के *अधीन* दिनांक 5 अगस्त, 1981 (अनुलग्नक पृष्ठ 6) की धारा 9 के *अंतर्गत पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत जारी किए गए आक्षेपित नोटिस* (*अनुलग्नक* पृष्ठ 6) के अनुसरण में इस माननीय न्यायालय द्वारा *इस माननीय न्यायालय में वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने के* दौरान कृपया प्रदान की जा सकती है।

सिविल विविध सं. 1981 का 2450।

सी.पी.सी. की धारा 151 के तहत आवेदन *में प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर उपरोक्त रिट याचिका पर कृपया सुनवाई की जाए और सिविल रिट याचिका संख्या 12 के साथ निर्णय लिया* जाए।श्री नवल सिंह द्वारा दायर 1981 *की* याचिका संख्या 4230 जिसका *शीर्षक है "नवल सिंह* बनाम *हरियाणा राज्य और"*

सिविल विविध सं. 1981 का 2451।

आदेश 6 के तहत आवेदन। नियम 17 को धारा 151 *सी.पी.सी. के साथ पढ़ा* जाता है, जिसमें प्रार्थना की जाती है कि याचिकाकर्ताओं को रिट याचिका में पैराग्राफ 13-ए से 13-ई *को शामिल करके रिट याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी* जाए, *जैसा कि संशोधित याचिका में कहा गया है।*

सिविल विविध सं. 1982 का 527।

आदेश 1 *नियम* 10 के *तहत धारा* 151 *सी.पी.सी.* के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें *प्रिंटर्स हाउस प्राइवेट लिमिटेड, बल्लभगढ़ के नाम पर प्रार्थना की जाती है- "प्रतिवादी संख्या* 3 को *उत्तरदाताओं के वकील से खारिज किया जा सकता है।*

राधे शाम और अन्य वी। राज्य 0/ हरियाणा और अन्य
(एस.एस. संधावालिया, सी.जे.)

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील एम. एस. जैन, वकील एम. एल. सरीन, आई. सी. जैन और ए. एल. जैन ने पक्ष रखा।

हरभगवान सिंह, ए.जी.(एच)और आर.पी.बाली, अधिवक्ता, राज्य *के लिए।*

प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से आर. एल. हांडा के साथ जे. के. सिब्बल। 2.

निर्णय

एस.एस. संधावालिया, सी.जे.

1. क्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत कार्यवाही को अंतिम रूप देने में अस्पष्ट रूप से अनावश्यक देरी उन्हें शक्ति के एक रंगीन प्रयोग के साथ कलंकित कर सकती है और इस प्रकार इसे पूरी तरह से खराब कर सकती है - यह सार्थक मुद्दा है जो पूर्ण पीठ के इस संदर्भ में सामने आता है।

2. हालांकि उपरोक्त मुद्दे को जन्म देने वाला मैट्रिक्स अभी तक गंभीर विवाद में नहीं है, फिर भी यह कुछ हद तक विस्तृत नोटिस की मांग करता है। 8 सितंबर, 1972 को प्रतिवादी-राज्य ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम (जिसे बाद में अधिनियम कहा जाता है) की धारा 4 के तहत दो अधिसूचनाएं (अनुलग्नक पी. 1 और पी. 2) जारी कीं, जिसमें बल्लभगढ़ और रानहेर के दो अलग-अलग राजस्व संपदाओं में स्थित 134 एकड़ 3 कनाई और 1 मरला के विशाल कॉम्पैक्ट क्षेत्र का अधिग्रहण करने के लिए कहा गया था। इसमें मूलरूप से श्री नवल सिंह के स्वामित्व वाली बल्लभगढ़ की राजस्व संपत्ति के भीतर 8 कनाई का एक टुकड़ा था, जिन्होंने 11 सितंबर, 1961 को एक उद्योग स्थापित करने के लिए जसवंत राय को इसे बेच दिया था और उन्होंने इसे एक चारदीवारी से घेर लिया था। तथापि, अगस्त, 1980 के महीने में उक्त जसवंत री ने उक्त क्षेत्र को तीन याचिकाकर्ताओं को बेच दिया - दिनांक 20 अगस्त, 1980 और 29 अगस्त, 1980 के दो अलग-अलग बिक्री विलेख के *माध्यम से* प्रत्येक को 50,000 रुपये के विचार के लिए। यह क्षेत्रप्रतिवादी नंबर 3, मेसर्स प्रिंटर्स हाउस (प्राइवेट) लिमिटेड के कारक वाई की चारदीवारी से सटा हुआ है। इस बीच, 29 नवंबर, 1972 को धारा 6 के तहत अनुलग्नक पी-3 के तहत बल्लभगढ़ की राजस्व संपदा में 10 एकड़ 4 कनाई और रन्हेरा की राजस्व संपदा में 25 एकड़ 6 कनाइस 7 मरला क्षेत्र के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई थी। अधिनियम की धारा 9 के तहत कार्यवाही भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा विधिवत शुरू की गई थी और

इसके बाद उपनिवेशीकरण विभाग ने मंडी क्षेत्र के लिए सटीक योजनाएं तैयार कींऔर 21 मार्च, 1974 को वहां भूखंडों की नीलामी भी की। दिनांक 26 जुलाई, 1975 को बल्लभगढ़ और बल्लभगढ़ के राजस्व संपदाओं के भीतर पर्याप्त क्षेत्रों के संबंध में धारा 6 (अनुलग्नक पी. 4 और पृष्ठ 5) के अंतर्गत दो और निषेधाज्ञाएँ जारी की गईं। मंडी टाउनशिप की स्थापना के समान उद्देश्य के लिए रनहेरा । प्रतिवादी संख्या 3 के कुछ क्षेत्र जो उपरोक्त अधिसूचना द्वारा कवर किए गए *थे,* उन्हें प्रतिवादी-राज्य द्वारा उनके द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर जारी किया गया था। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्ताओं के स्वामित्व वाली भूमि के हस्तांतरण के लिए औपनिवेशीकरण विभाग से संपर्क किया, ताकि दिल्ली-माथुर रोड पर अपने कारखाने के अग्रभाग को चौड़ा किया जा सके और उस उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण कर्नल को एक निर्देश जारी किया गया थाकि वे निर्णय देने के लिए कार्यवाही शुरू करें।

'याचिकाकर्ताओं और नफवल सिंह के स्वामित्व वाली भूमि का पीसीटी'। 5 अगस्त, 1981 को, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर नेअधिनियम की धारा 9 के तहत कार्रवाई करने का इरादा रखते हुए याचिकाकर्ताओं के पूर्ववर्ती-हित को नोटिस (अनुबंध पृष्ठ 6) जारी किया। जसवंत राय 21 अगस्त, 1981 को अपनी भूमि के मूल्य के बारे में दावा प्रस्तुत करने के लिए उनके समक्ष उपस्थित हुए। याचिकाकर्ताओं ने तब रिट याचिका को खारिज करने के लिए आक्षेपित नोटिस के साथ-साथ अनुलग्नक पी. 4 और पी. 5 को भी खारिज करने के लिए प्राथमिकता दी, जहां तक वे याचिकाकर्ताओं की भूमि से संबंधित हैं। याचिकाकर्ताओं के मामले का आधार यह है कि इस्सू- धारा 4 के तहत मूल अधिसूचना की 9 वर्ष की अवधि के बाद आक्षेपित नोटिस जारी करनाअधिग्रहण के मूल उद्देश्य से पूरी तरह से असंगत और संपार्श्विक विचारों के आधार पर अधिसूचित शक्ति का एक रंगीन प्रयोग है। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं की भूमि स्वचालित रूप से जारी की गई थी क्योंकि यह29 नवंबर, 1952 को जारी धारा 6 अधिसूचना के अनुरूप नहीं थी।

3. उत्तरदाताओं की ओर से दायर किए गए पत्र ो ं में शामिल हैं। 11 1 और 2 में प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी कि लगभग 9 वर्षों के अंतराल के बाद मूल अधिसूचना को दी गई चुनौती अस्पष्ट ीकृत थी! इसलिए केवल उसी स्कोर पर बर्खास्तगी की आवश्यकता थी। रिट याचिका में तथ्यों की व्यापक रूपरेखा विवादित नहीं है और प्रतिवादी-राज्य खुद को कानूनी रुख पर टिका हुआ है कि याचिकाकर्ताओंकी भूमि निर्धारित नहीं की जा रही है, अधिग्रहण कार्यवाही के अधीन है और परिणामस्वरूप धारा 9 के तहत नोटिस और साथ ही मूल अधिसूचनाएं भी उनके लिए वैध थीं । गौरतलब है कि 9 साल की देरी के लिए किसी भी विदेशीराष्ट्र का कोई संकेत नहीं है

काधे शाम और अन्य वी। हरियाणा राज्य और अन्य
(एस.एस.* संधावाहा, सी.जे.)

याचिकाकर्ताओं की भूमि *के अधिग्रहण* को अंतिम रूप देने में भीदेरी हुई है।

4. प्रतिवादी संख्या 10की ओर से दायर लिखित बयान में। 3. याचिकाकर्ताओं के *अधिकार क्षेत्र* को चुनौती इस आधार पर दी गई है कि उन्होंने अगस्त, 1980 में इस जानकारी के साथ भूमि खरीदी थी कि यह धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाओं का विषय है और इसलिए उन्हें इसे अस्वीकार करने से रोक दिया गया था। लाचेस डब्ल्यू'एस की दलील को भी दोहराने की मांग की गई। तथापि, यह स्वीकार किया गया है कि उत्तर देने वाले प्रतिनिधि की भूमि को 28 नवम्बर, 1975 की अधिसूचना के *अनुसार* अधिग्रहण कार्यवाही से मुक्त कर दिया गया था (अनुपत्र आर. 2)। हालांकि, रिट याचिका के पैराग्राफ 9 में दिए गए कथनों को खारिज कर दिया गया है और यह कहा गया है कि उत्तर-प्रतिवादी के कहने पर अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी।

5. चूंकि याचिकाकर्ताओं के *अधिकार* क्षेत्र और रिट याचिका की विचारणीयता को चुनौती दी गई है, इसलिए पहले इस प्रारंभिक मुद्दे का निपटारा करना उचित है। यहां प्रतिवादियों का रुख यह है कि संक्षेप में याचिकाकर्ताओं ने अपनी आंखें खुली रखते हुए संपत्ति नहीं खरीदी थी, बल्कि मुकदमेबाजी >बढ़े हुए मुआवजे का दावा करने के लिए जमीन में केवल एक खरीदार के रूप में" खरीदी थी। उनकी ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ताओं को अच्छी तरह से पता था कि अधिग्रहण की कार्यवाही 1972 में शुरू की गई थी, उन्होंने अगस्त 1980 में जमीन खरीदी और उसके बाद एक साल से भी कम समय के भीतर धारा 9 के तहत नोटिस जारी किए गए थे। इसलिए वे अपनी खरीद की तारीख से किसी भी सकल भुगतान का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर सकते हैं और * विशेष रूप से तब जब मूल भूमि मालिक ने उस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई थी और माना जाना चाहिए कि उसने इसे माफ कर दिया है या स्वीकार कर लिया है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी किवे अपने पूर्ववर्ती जसवंत राय से बेहतर या बेहतर अधिकार की मांग नहीं कर सकते।

6. याचिकाकर्ताओं के अधिकार क्षेत्र पर जिस दृढ़ता से सवाल उठाया गया, उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि न तो सिद्धांत और न ही मिसाल के आधार पर वे अकेले उस आधार पर अनुकूल नहीं हो सकते हैं। इस संबंध में संदर्भ को सबसे पहले अधिनियम की धारा 3 (बी) के तहत "इच्छुक व्यक्ति" की वैधानिक परिभाषा के लिए बुलाया जाता है, जिसे व्यापक शब्दों में परिभाषित किया गया है और इसमें स्पष्ट रूप से किसी भी व्यक्ति को शामिल किया गया है, जिसमें अधिग्रहण के कारण किए जाने वाले मुआवजे कादावा किया गया है और यहां तक कि इसके दायरे में भूमि को प्रभावित करने वाली किसी भी सुविधा में रुचि रखने वाले व्यक्ति को भी शामिल किया गया है। अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि

भूमि के खरीदार होने के आधार पर याचिकाकर्ता हकदार हैं और किसी भी मामले में

अधिग्रहित भूमि के मुआवजे में रुचि रखने का दावा कर सकते हैं। इसलिए, वे स्पष्ट रूप से धारा 3 (बी) के दायरे में आते हैं और सिद्धांत रूप में यह कहना आसान नहीं होगा कि मुआवजे में रुचि रखने वाले व्यक्ति के पास अधिग्रहण करने का अधिकार नहीं है । धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद यह आधार कि याचिकाकर्ता रिट याचिका को बनाए नहीं रख सकता है क्योंकि वे केवल भूमि के खरीदार हैं, एसएमटी में बाध्यकारी मिसाल से अच्छी तरह से नकारात्मक है। *गुणवंत कौर और अन्य नगरपालिका समिति, फाटिंडा [और अन्य,* (1)। इसमें भी कुछ याचिकाकर्ताओं ने धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के तीन साल से अधिक समय बाद एल खरीदा था। फिर भी उनके लॉर्डशिप नेनिम्नलिखित में अधिग्रहण को रोकने के अधिकार को बरकरार रखा:

> भटिंडा नगर समिति की ओर से हजारनवीस ने आग्रह किया था कि तीनों अपीलकर्ता धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने केबाद उनके द्वारा दावा की गई भूमि का पीछा कर रहे थे और उन्हें अधिसूचना के मुद्दे को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था। यदि, हालांकि, धारा 4 के तहत अधिसूचना अस्पष्ट थी, तो तीन अपीलकर्ता जो भूमि के खरीदार हैं, उनके पास वैधता को चुनौती दे सकते हैं। अधिसूचना की संख्या। अपीलकर्ताओंने पर्याप्त धनराशि बनाने में काफी पैसा खर्च किया है और हम 'यह मानने में असमर्थ हैं कि केवल इसलिए कि उन्होंने धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद भूमि खरीदी थी, उन्हें अधिसूचना की वैधता को चुनौती देने या यह तर्क देने से वंचित किया जाता है कि यह उनकी भूमि पर लागू नहीं होता है।

तुलसा सिंह बनाम तेलंगाना मामले में खंडपीठ द्वारा इस अधिकार क्षेत्र के भीतर कानून की पूर्वोक्त निंदा का पालन किया गया है और/लागू किया गया *है। हरियाणा राज्य और अन्य।* (2) धारा 4 के तहत मूल अधिसूचना के लंबे समय बाद भूमि की खरीद के संदर्भ में। इस प्रकार यह केवल इसलिए प्रकट होगा क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने अधिसूचना के बाद भूमि का पीछा किया, उन्हें किसी भी तरह से अपने से निचले पायदान पर नहीं रखा गया है; पूर्ववर्तियों के हित में। • याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री एमएस जाम ने स्पष्ट प्रवृत्ति को दरकिनार करते हुए अंतिम न्यायालय की हालिया घोषणाओं पर सही भरोसा किया था।

(1)) आकाशवाणी। 1970 एस.सी. 802.

(2) 1972 राजस्व कानून ने 651 की सूचना दी।

इस बारे में तकनीकी दृष्टिकोण और विरोधाभास के खिलाफ। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं की ओर से इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि प्रतिवादी राज्य की ओर से लगातार गैर-कार्रवाई ने पूर्व मालिक श्री जसवंत राय को यह विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित किया था कि भूमि को अब अधिग्रहण के लिए आवश्यक नहीं था और इसे मौन रूप से छोड़ दिया गया था। इसी तरह, इस प्रकार पेटीशनरों को इस स्थिति को स्वीकार करने और अगस्त, 1980 में खरीदारी करने के लिए प्रेरित किया गया। इस बीच फरवरी, 1980 में इस न्यायालय ने *मान सिंह और अन्य* मामले में फैसला सुनाया। *पंजाब राज्य* (3) ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अधिग्रहण की अयोग्यता लंबी और अस्पष्ट देरी से प्रभावित हुई है, जिससे याचिकाकर्ता की स्थिति को और बल मिला है।

7. उपरोक्त याचिकाकर्ताओं के लिएऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं के - अधिकार क्षेत्र में चली गई कार्रवाई असमर्थनीय है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए और याचिका की विचारणीयता को बरकरार रखा जाना चाहिए।

8. उत्तरदाताओं कीओर से लगाए गए प्रारंभिक आरोपों से निपटना भी उतना ही उपयुक्त है। यह जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया गया था कि अधिग्रहण आगे बढ़रहा है? 1972 में शुरू होने के बाद, 1981 में इस रिट याचिका के माध्यम से चुनौती देर से दी गई है। यह दलील देने की मांग की गई थी कि पूर्ववर्तियों ने कार्यवाही को चुनौती देने का विकल्प नहीं चुना था, याचिकाकर्ताओं को या तो रोक दिया गया था या किसी भी मामले में शक्ति के बेरंग प्रयोग के आधार पर चुनौती देने में बेहतर स्थिति में नहीं थे।

9. उपरोक्त आपत्तियों का सही मूल्यांकन करने के लिए, जो बात ध्यान देने योग्य है, वह यह है कि क्या सकल अस्पष्टीकृत विलंब एक कारक या परिस्थिति है जो शक्ति के प्रयोग की रंगीन प्रकृति को स्थापित करने के लिए प्रासंगिक है या तो अकेले या किसी भी मामले में जब अन्य कारकों में जोड़ा जाता है? इस मुद्दे का उत्तर मुझे स्पष्ट रूप से सकारात्मक प्रतीत होता है। यहां शायद इस तथ्य को दोहराने की जरूरत है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से हमले का मूल शक्ति का बेरंग प्रयोग है, न कि केवल देरी। हालांकि, लंबे समय तक अस्पष्ट ीकृत विलंब, या तो स्वयं और 'किसी भी मामले में अन्य कारकों के साथ मिलकर स्पष्ट रूप से अधिग्रहण की शक्ति के अभ्यास में *बोना जीड्स* की कमी को साबित करता है । यदि यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया जा सकता है कि प्रेरणा क्या_ है?

(3) 1980 पी.एल.जे. 414.

अधिग्रहण कोई विशिष्ट सार्वजनिक उद्देश्य नहीं था और इसका शीघ्र निष्पादन नहीं था, बल्कि धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करके कीमतों को कम करने के लिए केवल एक बहाना था और इस प्रकार नागरिकों को राज्य की इच्छा और कीमत पर बंधक बनाना था ताकि अधिग्रहण की कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जा सके (यदि ऐसा किया गया है) स्पष्ट रूप से शक्ति के रंगीन प्रयोग को स्थापित करने के लिए एक कारक है।

इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि अस्पष्ट ीकृत अनावश्यक देरीनिश्चित रूप से एक अत्यंत प्रासंगिक कारक है, यदि यह अधिनियम के तहत कार्यवाही के संदर्भ में शक्ति के रंगीन प्रयोग या अन्यथा खनन को रोकने के लिए निर्णायक नहीं है।

10. एक बार जब *यह* निर्णय ऊपर दे दिया जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जहां याचिका का एक हिस्सा स्वयं कार्यवाही को रोकने के लिए आधार है, याचिकाकर्ता रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप की शुरुआत से लंबे समय के बाद सुनवाई के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। अबतक यह प्राथमिक हो चुका है कि रिट का अधिकार क्षेत्र सतर्क लोगों के लिए है और जो वादी अपने अधिकारों पर अनावश्यक रूप से सोता है, उसे इस मंच के भीतर भारी फटकार लगाई जानी चाहिए। हालांकि, यह भी उतना ही स्पष्ट प्रतीत होता है कि जहां कार्रवाई का कारण राज्य के अस्पष्ट विलंब और शिथिलता के आरोपों से पूरी तरह से या अस्पष्ट रूप से उत्पन्न होता है, वहां उत्तरदाता-राज्य के मुंह में शिकायत करना शायद ही हो। कुछ विस्तार से मामले की जांच करते हुए, यह अच्छी तरह से संभव हो सकता है कि जब ओरीको शुरू किया जाता है, तो अधिग्रहण की कार्यवाही सतही रूप से सामान्य पाठ्यक्रम में अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत हो सकती है। हालांकि, किसी भी सार्थक सार्वजनिक उद्देश्य की अनुपस्थिति या इसके शीघ्र निष्पादन को स्पष्ट रूप से अधिग्रहण को अंतिम रूप देने में सकल अक्षमता द्वारा जिम्मेदार ठहराया जा सकताहै। वास्तव में, राज्य द्वारा इस तरह की लंबी शिथिलता और अस्पष्ट देरी अपने आप में इस निष्कर्ष की ओर इशारा करेगी कि मूल कार्यवाही शुरू करना, तत्काल या अपरिहार्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निर्देशित होने से दूर, धारा 4 के प्रावधानों का दुरुपयोग करने और भूमि की कीमतों को कम करने का एक उपकरण था, जो भविष्य में उत्पन्न होने वाली कुछ अस्पष्ट अनिर्दिष्ट आवश्यकता की छाया प्रत्याशा में था। वास्तव में यह ऐसी असाधारण देरी होगी जो मूल रूप से सत्ता के *वास्तविक* प्रयोग के रूप में दिखाई देने वाली एक नीरस रोशनी डालेगी । इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि जहां लंबे समय तक अस्पष्ट देरी शक्ति के रंगीन प्रयोग के आधार पर हमले के लिए एक नींव का पत्थर है, प्रतिवादी-राज्य का यह दावा करना व्यर्थ होगा कि रिट याचिकाकर्ता को अधिग्रहण प्रक्रिया की शुरुआत में ही अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिएथा, और एक तरह से यह अपने स्वयं के लाभ लेने का प्रयास है।

गलती। वास्तव में इस संदर्भ में कार्रवाई का मुख्य कारण (अर्थात्, शक्ति का रंगीन प्रयोग) केवल राज्य की लंबे समय से चली आ रही अस्पष्ट निष्क्रियता के कारण उत्पन्न हो सकता है और उत्तरदाता-राज्य को ढाल प्रदान करना तो दूर, यह केवल सत्ता के रंगीन दुरुपयोग के दाग के आधार पर हमले की तलवार को तेज करेगा। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि इस विशेष संदर्भ की विशिष्टताओं में 'अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने से रिट कोर्ट तक पहुंचने में केवल कालानुक्रमिक देरी अपने आप में याचिकाकर्ताओं के अनुकूल नहीं हो सकती है और वास्तव में पहले देखा गया > उनके खिलाफ उनके पक्ष में एक कारक हो सकता है।

राधेव शाम और अन्य वी। राज्य *का*हरियाणा और अन्य
(एस. एस. संधावालिया, सी.जे.;)

11. दरअसल, यहां मामले को 'एक और ताज़ा कोण से देखा जा सकता है। यदि, जैसा कि ऊपर कहा गया है,प्रतिवादी-राज्य द्वारास्वयं या अन्य कारकों के साथ मिलकर रिट याचिकाकर्ता को कार्रवाई का कारण प्रस्तुत किया जाता है, तो संक्षेप में, उसकी ओर से रिट अदालत का दरवाजा खटखटाने में कोई देरी नहीं होती है। दरअसल, ऐसे मामले में याचिकाकर्ता, कार्रवाई के कारण या इसके बराबर होने से उत्पन्न होने वाले जल्द ही अदालत का दरवाजा खटखटातेहैं। ऐसे मामलों में डेल#, वाई का निर्धारण करने का असली उद्देश्य कार्यवाही शुरू करना नहीं है, बल्कि अधिग्रहण कार्यवाही को अंतिम रूप देने में प्रतिवादियों की लंबी निष्क्रियता से है, जो इसे शक्ति के एक रंगीन प्रयोग के साथ कलंकित करेगा। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि रिट याचिकाकर्ताओं ने उचित समय के भीतर राहत मांगने में किसी भी तरह से सतर्क नहीं किया है।

12. हालांकि, इस क्षेत्र में सावधानी का एक मजबूत नोट जारी किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी थी कि किसी भी आधार पर अधिग्रहण कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने में देरी रिट ज्यूरी डिक्शन में अप्रासंगिक है। मान सिंह के मामले (सुप्रा) में रिपोर्ट के पैरा -9 पर विशेष रूप से भरोसा करने की मांग की गई थी क्योंकि "पीठ ने एक सहायक आधार पर धारा 4 के तहत अधिसूचना को 6 साल से अधिक की अवधि के बाद इलाके में प्रकाशित नहीं होने के आधार पर रद्द कर दिया था। तथापि, मुझे खेद है कि मैं इस प्रकार के किसी भी दस्तावेज का समर्थन करने में असमर्थ हूं। *मान सिंह के मामले* में फैसले का हवाला देने से पता चलता है कि अदालत का दरवाजा खटखटाने में देरी का मुद्दा दूर-दूर तक नहीं उठाया गया था और न ही इस सवालपर कोई टिप्पणी की गई थी। फिर से इलाके में प्रकाशन न करने के लिए धारा 4 के तहत अधिसूचना को चुनौती केवल एक 'सहायक आधार' थी, जो रंगहीन के मुख्य मुद्दे के लिए थी।

उस शक्ति का प्रयोग जिस पर रिट याचिका की अनुमति दी गई थी। यह केवल एक अतिरिक्त आधार के रूप में था कि अधिनियम की धारा 4 (1) के उल्लंघन के i^sue के संबंध में टिप्पणियां की गई थीं। फिर भी यदि मान सिंह के मामले में की गई टिप्पणियों को इस प्रस्ताव के वारंट के रूप में पेश किया जाता है कि किसी भी आधार पर रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में देरीअप्रासंगिक है, तो यह स्पष्ट रूप से बाध्यकारी आदेश के विपरीत है। *अफलातून और अन्य* में वी। *दिल्ली के उप-राज्यपाल और अन्य** (4), उनके लॉर्डशिप ने स्पष्ट शब्दों में निम्नानुसार कहा है: –

> "***. धारा 4 के तहत एक वैध अधिसूचना संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए अनिवार्य शर्त है। सरकार को इसआधार पर अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देना कि धारा 4 के तहत अधिसूचना और धारा 6 के तहत घोषणावैध थी और फिर अधिसूचना प्रकाशित होने के समय उनके पास उपलब्ध आधारों पर अधिसूचना पर हमला करना 'टाल-मटोल की रणनीति पर प्रीमियम लगाना' होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से देरी और देरी के आधार पर रिट याचिकाओं को खारिज किया जा सकता है।

और मैसूर *राज्य बनाम मैसूर में* अफ्लैन । *वी. के. कंगन,* (5), इस विचार को निम्नानुसार दोहराया गया है: –

> "धारा 4 के तहत अधिसूचना 13 अप्रैल, 1967 को प्रकाशित की गई थी। प्रतिवादीद्वाराअधिनियम की धारा 5-ए के तहत आरोप दायर किए गए थे। उपायुक्त ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। सरकार ने आपत्तियों को खारिज कर दिया। धारा 6 के तहत अधिसूचना 19 अक्टूबर, 1968 को राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। अधिसूचनाओं की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका जुलाई या अगस्त, 1969 में किसी समय दायर की गई थी। हम iWt करते हैं। ऐसा लगता है कि प्रतिवादी अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना की वैधता को चुनौती देने का हकदार था क्योंकि अधिसूचनाको रद्द करने के लिए रिट याचिका अनुचित समय बीतने के बाद दायर की गई थी।

उपरोक्त आधिकारिक निंदा से यह स्पष्ट है किरिट कोर्ट से संपर्क करने में लाशों का प्रश्न हमेशा 'एक सामग्री' होता है।

(4) ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 2077.
(5) ए.आई.आर. 1975 एस.सी. 2190.

और कभी-कभी एक महत्वपूर्ण कारक। तथापि, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि यहां दिए गए विस्तृत कारणों के लिए एक्स सत्ता के बेरंग प्रयोग के अन्य मुद्दे पर *मान सिंह के मामले* में अपने दृष्टिकोण की बेहिचक पुष्टि करेंगे।

13. विज्ञापन केगुणों के आधार पर विज्ञापन देने से पहले, यह नहीं है; इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से दी गई चुनौती को और भी स्पष्ट रूप से 'हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से श्री एम. एल. सरीन द्वारा दी गई थी) पूरी तरह से शक्ति के रंगहीन प्रभाव के आधार पर दी गई है, न कि केवल देरी पर। वास्तव में, घोर अस्पष्ट विलंब हमले के आधार को स्थापित करने के लिए केवल एक कारक या सबूत है, अर्थात्, धारा 4 के तहत मूल अधिसूचना और उसके बाद की 'अधिग्रहण की कार्यवाही' केवल शक्ति का एक रंगीन बहाना थी, जिसका वास्तविक उद्देश्य तत्काल सार्वजनिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए इतना कुछ नहीं था, बल्कि भविष्य में कुछ दूरदराज की अप्रत्याशित आकस्मिकताओं के लिए कीमतों को कम करना था।

14. इस अधिनियम की योजना में राज्य सरकार कायह कर्तव्य है कि वह अधिग्रहण प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में तेजी के साथ कार्य करे। एक बार जब वह कर्तव्य या दायित्व भटक जाता है और कार्यवाही में पूरी तरह से अस्पष्ट देरी होती है, तो *प्रथम दृष्टया* अधिग्रहण के लिए प्रतिष्ठित डोमेन की शक्ति का प्रयोग अनुचित और मनमाना हो जाता है। वकील ने व्यवहार्यता के साथ तर्क दिया कि अधिनियम द्वारा निहित शक्ति का उपयोग करने में तर्कसंगतता कानून में ही निहित थी और आर्थिकसंदर्भ में तर्कसंगतता का अर्थ है, संक्षेप में, उचित अवधि के भीतर कार्य करना, भले ही कोई विशिष्ट सीमा निर्धारित नहीं की गई हो। इसके विपरीत यह तर्क दिया गया था कि केवल इसलिए कि कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यह राज्य को किसी भी समय कार्रवाई करने के लिए लाइसेंस या लाइसेंस नहीं देगा, हालांकि, धारा 6 के तहत अधिसूचना की घोषणा के बाद दूर। नतीजतन, यह तर्क दिया गया कि वर्तमान या भविष्य में किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के अभाव में अस्पष्ट देरी सबसे स्पष्ट बाधा है, जो निर्णायक रूप से स्थापित करती है कि शक्ति का मूल प्रयोग एक रंगीन था और इस प्रकार रद्द करने के लिए उपयुक्त है।

15. मुद्दा यह है कि क्या अधिकार क्षेत्र में शक्ति के बेरंग प्रयोग के आधार पर अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द करने की आवश्यकता है? ऐसा प्रतीत होता है

सिद्धांत ों के अटूट त्याग की एक लंबी रेखा और समान रूप सेपूर्वधारणा कि शक्ति का रंगीन प्रयोग हर उस कार्य को दूषित कर देगा जिसे एक लंबे शोध प्रबंध पर लॉन्च करना अनावश्यक लगता है। एक सामान्य सिद्धांत के रूप में, प्रतिवादियों की ओर से हमारे समक्ष यह भी चुनौती नहीं दी गई थी कि यदि रिट अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि क़ानून के तहत कोई भी कार्रवाई *प्रामाणिक* नहीं है, बल्कि केवल प्रदान की गई शक्ति का दुरुपयोग या दुरुपयोग है, तो उसके पास इसे रद्द करने की शक्ति है और वास्तव में ऐसा करना उसका कर्तव्य है। अधिनियम के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही के विशिष्ट क्षेत्र के भीतर, अंतिम न्यायालय ने, हालांकि मूल रूप से ऐसा नहीं कहा था, लगातार टिप्पणियां की हैं जो इस दृष्टिकोण की ओर इशारा करती हैं कि ऐसी कार्यवाही को तब दंडित किया जाएगा जब वे शक्ति के रंगीन प्रयोग से दूषित होती हैं। यह सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य *और अन्य बनाम मध्य प्रदेश* राज्य के फैसले की अवधि से उभरता है । *विष्णु पार्सेड शर्मा और अन्य* (6), जिसके तहत यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत एक अधिसूचना के भीतर शामिल भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 6 के तहत लगातार अधिसूचनाएं जारी करना सरकार के लिए खुला नहीं था और एक बार धारा 6 के तहत घोषणा की गई है, धारा 4(1) के तहत पहले की गई घोषणा समाप्त हो जाएगी क्योंकि इसने अपने उद्देश्य को पूरा किया है। जैसा कि सर्वविदित है, इस फैसले के बाद 1967 के अधिनियम संख्या 13 द्वारा धारा 6 में संशोधन किया गया और धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना की तारीख से धारा 6 के तहत घोषणा के लिए तीन साल की अवधि को निर्दिष्ट करने वाले परंतुक को शामिल किया गया। तथापि, इस संदर्भ में अधिक स्पष्ट टिप्पणियां *अम्बालाल पुरुषोत्तम आदि* में की गई थीं। बहुत। *अहमदाबाद शहर के अहमदाबाद नगर निगम* और अन्य (7), निम्नलिखित शब्दों में-

> »«*, हमें इस तरह से नहीं समझा जाना चाहिए कि
> धारा 4 और 6 के अधीन अधिसूचनाएं जारी होने के बाद उपयुक्त सरकार को मामलों की अनुमति देने में उचित होगा (जब भी वे उचित समझें तो मुआवजे के मूल्यांकन के लिए कार्यवाही को हाथ में लेना उचित होगा)। अधिनियम की योजना द्वारा यह आशय है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना का पालन बिना किसी अनुचित विलंब के मुआवजे के निर्धारणके लिए कार्यवाही द्वारा किया जाना चाहिए।

(6) 1966 ई.सी. 1593.

(7) 1968 एस.सी. 1223.

लेकिन वर्तमान मामले के तथ्यों पर, ऐसा नहीं लगता है कि भूमि मालिकों या उनसे व्युत्पन्न स्वामित्व का दावा करने वाले व्यक्तियों को कीमतों में वृद्धि का लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाएं भूमि के

राधे शाम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
(एस.एस. संधावालिया, सी.जे.) x

अधिग्रहण के लिए कदम उठाने के इरादे के बिना जारी की गई थीं।

तथापि, इस प्रस्ताव पर अनुमोदन की अंतिम मुहर लगा दी गई है कि अधिनियम के तहतकार्रवाई की कार्यवाही का उल्लंघन किया जाएगा यदि वे *प्रामाणिक* हैं और केवल शक्ति का एक रंगीन प्रयोग हैं, जैसा कि उनके लॉर्डशिप के हालिया फैसले से निर्धारित किया गया है। *पंजाब राज्य और दूसरा* v. *गुरदयाल सिंह और अन्य* (8) नेइस अदालत के एक फैसले के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। बिना किसी अनिश्चित शब्दों में, यह निम्नानुसार देखा गया था -

> "*** जब सत्ता का संरक्षक उन लोगों के बाहर के विचारों से प्रभावित होता है जिनकी शक्ति निहित है, तो अदालत इसे एक रंगीन अभ्यास कहती है और भ्रम से धोखा नहीं देती है। एक व्यापक, धुंधले अर्थ में, बेंजामिन डिसरेली कानून में भी निशान से बाहर नहीं थे जब उन्होंने कहा था। "मैं दोहराता हूं - कि सभी शक्ति एक विश्वास है – कि हम इसके अभ्यास के लिए जवाबदेह हैं – कि, पेपल से, और लोगों के लिए, सभी झरनों और सभी का अस्तित्व होना चाहिए। सत्ता पर धोखाधड़ी आदेश को कमजोर करती है यदि इसे डिजाइन किए गए अंत के लिए *सही* तरीके से प्रयोग नहीं किया जाता है। इस संदर्भ में धोखाधड़ी नैतिक पतन के बराबर नहीं है और इसमें उन सभी मामलों को शामिल किया गया है जिनमें लागू की गई कार्रवाई किसी वस्तु को प्रभावित करने के लिए है जो शक्ति के उद्देश्य और इरादे से परे है, चाहे वह दुर्भावना से भरा हो या यहां तक कि हो। यदि उद्देश्य भ्रष्ट है, तो परिणामी कार्य बुरा है। यदि इस पर विचार किया जाता है, जो शक्ति के दायरे से परे है या कानून से बाहर है, तो यह फैसला है या दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई को बाधित करता है या सत्ता पर धोखाधड़ी अधिग्रहण या अन्य आधिकारिक कार्य को प्रभावित करती है।

इस न्यायालय के भीतर, *मान सिंह के मामले* में डिवीजन बेंच ने शर्तों में कहा है कि जहां अधिसूचनाएं अधिग्रहण के *वास्तविक* उद्देश्य के लिए जारी नहीं की गई थीं, बल्कि ~ (8) एआईआर 1980 एससी 319 के संपार्श्विक उद्देश्य के लिए जारी की गई थीं।

कीमतों को कम करना और पेटिनर्स को लाभप्राप्त करने से रोकना, तो इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। मैं नोटिस करूंगा कि यद्यपि उपरोक्त निर्णय की शुद्धता को प्रतिवादियों की ओर से कुछ अन्य पहलुओं पर सवाल उठाने की कोशिश की गई थी, फिर भी इस विशिष्ट मुद्दे पर कि रिट कोर्ट के पास इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद अभियोजन कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति है कि इसमें शामिल है: शक्ति का एक रंगीन प्रयोग, यह कभी भी प्रतिवादी-राज्य या श्री जेके सिब्बल की ओर से निजी प्रतिवादियों की ओर से विवादित नहीं था।

16. अत, मैं यह कहना चाहूंगाकि शक्ति के एक बेरंग प्रयोग से अधिनियम के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही प्रभावित होगी! इस प्रकार रिट अदालत को इसे रद्द करने की आवश्यकता है।

17. उपरोक्त के अनुसार, अब अधिग्रहण की कार्यवाही के निर्धारण में अस्पष्ट ीकृत अत्यधिक देरी के मुख्य मुद्दे पर वापस आ सकते हैं। यह पहले ही देखा जा चुका है कि यह निर्धारित करने के लिए एक अत्यंत प्रासंगिक कारक है कि शक्ति का प्रयोग रंगीन है या अन्यथा। हालांकि, इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग मेंयह प्रश्न उठता है कि क्या देरी, यदि कोई हो, या तो अस्वीकृत है या वास्तव में वैधानिक रूप से उचित नहीं है। बारीकी से विश्लेषण करने पर, इस संदर्भ में विलंब को स्पष्टता के लिए तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है -

(i) धारा 4 औरधारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने की अनुमति दें;

(ii) धारा 6 के तहत अधिसूचना की तारीख और दावेदारों को धारा 9 के तहत नोटिस जारी करना; और

(iii) धारा 9 के तहत कलेक्टर द्वारा पुरस्कार प्रदान करने तक नोटिस की तारीख निर्धारित करें;

18. जैसा कि बाद में स्पष्ट होगा,अंतिम विश्लेषण में, शक्ति के रंगीन प्रयोग के मुद्दे के निर्धारण के लिए देरी के मुद्दे के समग्र परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता होती है, न कि इसके किसी भी काल्पनिक विभाजन में। फिर भी, पहलेइस मामले को उपरोक्त तीन अलग-अलग श्रेणियों के संदर्भ में देखना उचित लगता है।

19. (i) को लंबे समय तक हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह अब वैधानिक प्रावधानों और बोली मिसाल दोनों को अच्छी तरह से कवर करता है। फिर भी, यह मामलाअपने विधायी इतिहास के संदर्भ में एक संक्षिप्त सूचना के लिए उपलब्ध है। 1967 से पहले, क़ानून ने धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना जारी करने और धारा 6 के तहत कल्पना की गई घोषणा के लिए समय की कोई सीमा प्रदान नहीं की थी। धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने में अत्यधिक देरी के मामले विष्णु

प्रसाद शर्मा के मामले (सुप्रा) में उनके समक्ष विवाद के लिए सामने आए थे। यद्यपि इस मुद्दे को सख्ती से कानूनी शब्दों में तैयार किया गया था कि क्या धारा 6 के तहत क्रमिक अधिसूचना धारा 4 के तहत मूल अधिसूचना के आधार पर जारी की जा सकती है, धारा 4 के तहत मूल अधिसूचना के 11 साल से अधिक समय के बाद धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने की घोर कठिनाई और असमानतास्पष्ट रूप से सामने आ गया। अदालत ने माना कि धारा 6 के तहत क्रमिक अधिसूचनाएं धारा .4 के तहत मूल अधिसूचना के आधार पर जारी नहीं की जा सकती हैं। इस निर्णय के कारण 20 जनवरी, 1967 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया, जिसेबाद में 1967 के अधिनियम संख्या 13 के रूप में अधिनियमित किया गया, जिसके तहतधारा 6 में उप-संवैधानिक संशोधन पेश किए गए। उप-धारा (1) के परंतुक में अब यह निर्धारित किया गया है कि धारा 6 के तहत कोई भी घोषणा धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन साल की समाप्ति के बाद नहीं की जाएगी। इसलिए, अंतिम परिणाम यह है कि अब इस वैधानिक जनादेश के आधार पर, धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने में तीन साल से अधिक की देरी कार्यवाही को पूरी तरह से शून्य बना देगी।

20. हालांकि, तीन साल की अवधि के भीतर देरी के संबंध में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने यह तर्क देने में जोर दिया कि भले ही यह अस्पष्ट और अस्पष्ट हो, यह कार्यवाही को दूषित करेगा। दलील यह थी कि धारा 6 (1) के परंतुक में केवल एक बाहरी सीमा बताई गई है, जिसके बाद धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती है, लेकिन उक्त अवधि के भीतर राज्य को कोई व्यापक अधिकार प्रदान नहीं करता है। इस रुख में केवल तर्क की कुछ व्यवहार्यता हो सकती है, जो मुझे प्रतीत होता है कि यहां गुजरात राज्य परिवहन निगम आदि में बाध्यकारी उदाहरण द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मामला समाप्त हो गया है / बहुत।

वालजी मुलजी एसओनेजी और अन्य, आदि। (9) इसमें, यह निम्नानुसार देखा गया था -

> "तो सवाल यह है: जब कोई क़ानून शक्ति प्रदान करता है और समय निर्धारित करता है जिसके भीतर इसका उपयोग किया जा सकता है, तो क्या यह कभी कहा जा सकता है कि भले ही शक्ति का उपयोग प्रारंभिक अवधि में किया जाता है, फिर भी न्यायालय देरी के सवाल की जांच कर सकता है और यह निष्कर्ष दर्ज करसकता है कि शक्ति के उपयोग में अनुचित देरी हुई थी। क्यायह सच है कि शक्ति का प्रयोग बुरा है? यह दृष्टिकोण शक्ति के प्रयोग पर एक प्रकार की सीमा निर्धारित करने के उद्देश्य को विफल कर देगा। जब शक्ति के प्रयोग के लिए कोई अवधि निर्धारित की जाती है तो यह इस आशय को प्रकट करता है कि निर्धारित समय के भीतर शक्ति का प्रयोग करने वाले प्राधिकारी को कम से कम इस आधार पर अयोग्य या अमान्य नहीं कहा जा सकता है कि शक्ति के प्रयोग में अनुचित विलंब हुआ है। समय का निर्धारण हीयह विश्वास करता है कि शक्ति की प्रकृति और मात्रा और जिस तरीके से इसका प्रयोग किया जाना है, उसमें कम से कम उतना समय लगेगा ** जिसे कानून उचित के रूप में निर्धारित करता है और इसलिए, समय के भीतर शक्ति का प्रयोग अनुचित देरी के एकमात्र आधार पर नकारात्मक नहीं हो सकता है। इसमामले में उच्च न्यायालय से सहमत होना मुश्किल है किशक्ति के प्रयोग में अनुचित देरी हुई और इसलिए यह कवायद या तो खराब थी या अमान्य थी।

और फिर से:

> " इसलिए, उच्च न्यायालय की चिंता की सराहना करते हुए हमारी राय है कि एक बार जब विधायिका ने हस्तक्षेप किया और एक प्रकार की सीमा निर्धारित की, जिसके भीतर धारा 6 के तहत नो + िफिकेशन जारी करने की शक्ति को समाप्त किया जा सकता है, तो निहितार्थ को उठाकर सरकार की शक्ति पर एक और प्रतिबंध की तलाश में जाने की आवश्यकता नहीं थी।

(9) ए.आई.आर. 1980 एस.सी.

उपरोक्त निंदा को ध्यान में रखते हुए, अदालतों के लिए अब यह संभव नहीं लगता है कि वे धारा 4 के तहत अधिसूचना और धारा 6 के तहत एक के तहत सख्त तीन साल की अवधि की न्यायसंगतता या अन्यथा की जांच करें।

21. उपरोक्त विद्वान वकील के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं ने धारा 6 अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी है कि यह कार्यवाही शुरू होने के 2 साल और 10 महीने की अवधि के बाद जारी किया गया था। माना जाता है कि धारा 4 के तहत अधिसूचना 8 सितंबर, 1972 को जारी की गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए धारा 6 में संशोधन के तहत क्रमिक

अधिसूचनाएं 3 वर्ष की अवधि के भीतर जारी की जा सकती हैं। वर्तमान मामले में धारा 6 के तहत यह दूसरा अधिसूचकआदेश 26 जुलाई, 1975 को जारी किया गया था, जो उस समय के भीतर है जिसे उच्चतम न्यायालय के उनके लॉर्डशिप ने इस शक्ति के प्रयोग के लिए सीमा की अवधि के रूप में वर्णित किया है। इस सीमित आधार पर याचिकाकर्ताओं का रुख इस प्रकार अचूक है।

22. श्रेणी (ii) पर आते हुए, इस संदर्भ में जो बात सबसे अधिक उत्तेजित थी, वह यह थी कि क्या इसमें विलंब का कारणधारा 6 के तहत अधिसूचना है या अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने में समग्र विलंब है। याचिकाकर्ता के वकील ने अतितकनीकी रुख अपनाते हुए कहा था कि विधायिका ने खुद ही तीन साल के लिए वैधानिक सीमा प्रदान की है, भविष्य में अधिग्रहण कार्यवाही को अंतिम रूप देने में अतिरिक्त देरी को धारा 6 के तहत अधिसूचना की तारीख से गिना जाना चाहिए, न कि पहले। मैं इस कुछ हद तक विनम्र रुख को स्वीकार करने में असमर्थ हूं, जो न तोसिद्धांत पर स्वीकृत है, और न ही इसके समर्थन में किसी मिसाल का हवाला दिया गया था। यह स्पष्ट है कि धारा6 (1) में परंतुक जोड़ते समय कानून ने अपेक्षित घोषणा करने की शक्ति के प्रयोग के लिए केवल बाहरी सीमा निर्धारित की थी। इस संदर्भ में देरी को कम करने के लिए विधायिका का कर्तव्य था, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि जैसे ही तीन साल की सीमा पार हो जाएगी, धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। यह सच है कि 3 साल की इस अवधि के भीतर का समय अब कार्यवाही को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन यह निश्चित रूप से प्रासंगिक होगा और किसी भी लंबे समय तक देरी के संदर्भ में भी विचार करने की आवश्यकता होगी। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस क्षण धारा 6 अधिसूचनानिर्धारित समय के भीतर जारी की जाती है, उक्त अवधि के लिए कुल गैर-कार्रवाई और अस्पष्ट देरी पूरी तरह से होगी।

विचार से मिटा दिया गया। इसलिए, यहां यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि धारा 6 के तहत अधिसूचना में देरी और ^धारा 9 के तहत नोटिस को कार्यवाही शुरू करने से समग्र संदर्भ में देखा जाना चाहिए, न कि केवल धारा 6 अधिसूचना की तारीख के संकीर्ण टर्मिनस से।

23. उपरोक्त नियम को लागू करते हुए, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यद्यपि धारा 6 के तहत अंतिम अधिसूचना 26 जुलाई, 1975 को जारी की गई थी, लेकिन 8 सितंबर 1972 को धारा 4 के तहत अधिसूचना द्वारा कार्यवाही लगभग तीन साल पहले शुरू की गई थी। इसलिए, समग्र संदर्भ में विलंब के मुद्दे को 1972 से ही देखा जाना© चाहिए, न कि बाद में धारा 6 की अधिसूचना की तारीख के कृत्रिम टर्मिनस से।

24. अब श्रेणी (ii i i I) पर आते हुए, राज्य और निजी उत्तरदाताओं की ओर से तर्कों पर रोक लगाने का तर्क यह था कि धारा 9 के तहत नोटिस जारी होने के बाद कोई भी देरी गुणात्मक रूप से उससे पहले की देरी से अलग है। संक्षेप में, एक सरल सादृश्य उठाने की कोशिश की गई थी, कि धारा 9 के तहत नोटिस के बाद की कार्यवाही निष्पादन या प्रक्रियात्मक कार्यवाही की प्रकृति में थी जोकिसी भी तरह से प्रभावित नहीं करती थी, जिसे इससे पहले अधिग्रहण की ठोस या वास्तविक कार्यवाही कहा जाता था। वकील ने प्रस्तुत किया कि धारा 9 के तहत 10 नोटिस के बाद की कार्यवाही में देरी के लिए एक *परमादेश* या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यह प्रासंगिक नहीं है, न ही अधिग्रहण कार्यवाही को रद्द करने के लिए नखलिस्तान बनाया जा सकता है। संक्षेप में, उत्तरदाताओं का रुख यह था कि धारा 9 के तहत नोटिस जारी करने के बाद परिणामी देरी की कोई भी राशि संविधान 4 और 6 के तहत अधिसूचनाओं की वैधता के लिए प्रासंगिक या प्रासंगिक नहीं है।

25. तर्क >पूर्वोक्त में विद्वान सलाह की सरलता को श्रेय दिया जाता है' और निष्पक्षता से यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसे श्री जेके सिब्बल द्वारा व्यवहार्यता और योग्यता के साथ प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, एक गहन विश्लेषण से पता चलता है कि, संक्षेप में, स्टैंड पूरीतरह से भ्रामक नहीं तो अनुचित है। मैं धारा 9 के तहत नोटिस जारी करने के चरण तक और उसके बाद अधिनियम के तहत कार्यवाही में कोई बुनियादी या गुणात्मक अंतर देखने में असमर्थ हूं। वास्तव में, अधिनियम के भाग-II, जिसमें धारा 4 से 18 निहित हैं, पर एक नज़र डालने से यह संकेत मिलता है कि ये सभी प्रावधान केवल एक अभिन्न संपूर्ण के घटक हैं। 6 तक या धारा 9 तक की कार्यवाही के संबंध में कोई कृत्रिम या काल्पनिक भेद रेखा नहीं खींची जा सकती है।

इसके बाद आने वाले प्रावधान। कलेक्टर द्वाराअधिनिर्णय प्रदान करने में होने वाली कार्यवाही के अनुसार, अधिनियम द्वारा पुन निर्धारित प्रक्रिया एक एकीकृत संपूर्ण है जिसे कृत्रिम रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है या किसी भी मामले में नहीं किया जाना चाहिए। अत, मेरा विचार है कि धारा 9 के अंतर्गत नोटिस जारी किए जाने के बाद भी अत्यधिक विलंब समान रूप से प्रासंगिक है और शक्ति केरंग-बिरंगे प्रयोग के मूल मुद्दे को निर्धारित करने में विचार करने के लिए उपयुक्त है।

26. अनुच्छेद 17में उल्लिखित तीन श्रेणियों की उपर्युक्त चर्चा से, यह अनिवार्य रूप से इस प्रकार है कि शक्ति के रंगीन प्रयोग के आधार पर अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती देने के लिए, न्यायालय को पूरे मामले का समग्र परिप्रेक्ष्य लेना होगा और अधिग्रहण के विभिन्न चरणों के आधार पर किसी भी वित्तीय विभाजन के बावजूद। जैसा कि उनके लॉर्डशिप ने विष्णु प्रसाद शर्मा में बार-बार बताया है; *अमकालाल पुरुषोत्तम;*और *सिउर (डायल सिंह और अन्य के मामले (*सुप्रा), अधिनियम की पूरी योजना में (अधिनियम शुरू होने के बाद कार्रवाई की कार्यवाही को शीघ्र अंतिम रूप देने की परिकल्पना की गई है)। अस्पष्ट ीकृत और अनावश्यक देरी जो दावेदारों को बंधक बनाती है, जिनकी संपत्तियों को 'अधिग्रहित करने की मांग की जाती है और उचित समय के भीतर मुआवजे से वंचित किया जाता है, शक्ति के प्रयोग के लिए *प्रमाणिकता* की कमी को स्थापित करने के लिए सबूत के तीखे और स्पष्ट टुकड़े होंगे । इसलिए, न्यायालय को कार्यवाही शुरू करने से लेकर याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए चुनौती के समय तक के पूरे स्पेक्ट्रम को ध्यान में रखना होगा, जिसमें देरी सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है? यदि नहीं, तो निर्णायक कारक। यहां, धारा 6 के तहत घोषणा की शक्ति के प्रयोग के लिए प्रदान की गई तीन साल की वैधानिक अवधि, प्रतिवादी को कोई पूर्ण सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। हालांकि अब यह माना जाना चाहिए कि केवल देरी के आधार पर, धारा 6 के तहत अधिसूचना को चुनौती नहीं दी जा सकती है, अगर यह कानून द्वारा निर्धारित तीन साल की अवधि के भीतर आती है। इसका मतलब यह नहीं है किधारा 6 अधिसूचना के बाद कार्यवाही के विनिश्चय के बाद होने वाले समग्र विलंब से पूरी तरह से बाहर रखा जाना चाहिए। यदि, धारा 6 के तहत अधिसूचना के बाद भी, राज्य कई वर्षों से अधिक समय तक विरोध करता है, तोधारा 4 (1) के तहत अधिसूचना के कोने से अवधि को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। इसलिए, धारा 4 और 6 अधिसूचनाओं के बीच का अंतराल जांच के लिए एक कारक के रूप में अप्रासंगिक नहीं है।
कार्यवाही की *वास्तविकता* फीकी पड़ जाती है। एक घरेलू वाक्यांश का उपयोग करने के लिए, इस अवधि को निश्चित रूप से धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद अन्य असाधारण देरी के लिए टैग किया जा सकता है ताकि मामले को कुल परिप्रेक्ष्य में जांचा जा सके। यह स्मरण करने योग्य है कि अस्पष्ट विलंबकेवल नागरिकों की कठिनाई और पूर्वाग्रह के कारण होता है, न कि उस राज्य के पास, जिसके पास किसी भी समयधारा 48 (और जैसा कि *अंबालाल पुरुषोत्तम के मामले* में आधिकारिक रूप से कहा गया है) या सामान्य

खंड अधिनियम के व्यापक प्रावधानों के आधार पर अधिग्रहण से लाभ लेने की शक्ति है।

27. जैसा कि अंतिम न्यायालय द्वारा बार-बार जोर दिया गया है, देरी के मुद्दे को अधिनियम के तहत अधिग्रहण *की बड़ी योजना के* संदर्भ में देखा जाना चाहिए। धारा 4 में उचित सरकार के सतही गुट की आवश्यकता है कि भूमि को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक होने की संभावना है और धारा 6 के तहत एक घोषणा उस इरादे को ठोस बनाती है। इस प्रमाण की कसौटी को पूरा करने के लिए यह प्राथमिक है कि मौजूदा सार्वजनिक उद्देश्य के निष्पादन के लिए अधिग्रहण की वर्तमान आवश्यकता मौजूद होनी चाहिए। इसे 'कला के एक शब्द' में रखने के लिए, सार्वजनिक उद्देश्य और निष्पादन की आवश्यकता दोनों को मौजूद होना चाहिए और पूरी तरह से भविष्य में नहीं / अस्पष्ट सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया गया कोई भी कथित अधिग्रहण, जो भविष्य में अनुमानित बाजार मूल्य पर उत्पन्न हो सकता है या नहीं भी हो सकता है , इस प्रकार 'सत्ता के एक रंगीन प्रयोग के रूप में और राज्य द्वारा भ्रामक भविष्य की जरूरतों के लिए नागरिकों की संपत्ति को अनिवार्य रूप से कम कीमत पर लेने के दुरुपयोग के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यह तब और अधिक है जब रियल एस्टेट की कीमतों में निरंतर और निरंतर वृद्धि की न्यायिक सूचना दी जा सकती है, और वास्तव में वित्त न्यायालय द्वारा ली गई है। नतीजतन, यदि कार्यवाही को अंतिम रूप देने और कथित सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करने में लंबे समय तक देरी के लिए कोई बाहरी राष्ट्र मौजूद नहीं है, तो यह निष्कर्ष अनिवार्य रूप से उठता है कि कोई तत्काल सार्वजनिक उद्देश्य मौजूद नहीं था या दृष्टि में नहीं था जिसे व्यावहारिक रूप में रखा जा सकता था। एक बार ऐसा हो जाने के बाद, यह अच्छी तरह से माना जा सकता है कि शक्ति का प्रयोग वर्षों बाद अधिग्रहण के लिए कीमतों को स्थिर करने का एक रंगीन प्रयास था, जब वे मौजूदा कीमतों से दोगुनी या तिगुनी हो सकती हैं। एक कल्याणकारी राज्य के लिए नागरिकों की कीमत पर ऐसा करना, इस प्रकार कुछ ऐसा होगा जो कानून द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ धोखाधड़ी होगी और इसलिए, रद्द करने योग्य होगा।

28. धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करने का तत्काल प्रभाव स्पष्ट रूप से यह है कि भूमि का बाजार मूल्य उस तारीख को कृत्रिम रूप से कम कर दिया जाता है। मालिक वस्तुतः अपनी संपत्ति का लाभकारी आनंद खो देता है क्योंकि उसके बाद भूमि पर किए गए किसी भी सुधार की भरपाई नहीं की जाती है। साथ ही

इस तथ्य के अनुसार, 'नागरिक अधिग्रहण करने या न करने के लिए राज्य की दया पर झूल जाता है क्योंकि किसी भी समय अधिग्रहण से वापस लेने की शक्ति राज्य के पास रहती है। यदि कीमतें गिरती हैं, तो राज्यभूस्वामी के गंभीर पूर्वाग्रह के कारण अधिसूचना को रद्द कर सकता है। दूसरी ओर, प्रतिवादी- राज्य जो व्हिप का हाथ पकड़ता है, उसके प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना नहीं है। नतीजतन, यह प्रतिवादी-राज्य का कर्तव्य है कि वह अधिग्रहण की कार्यवाही में अत्यंत तत्परता के साथ कार्य करे क्योंकि उचित समय के भीतर कार्य करना, यहां तक कि जहां कोई सीमा प्रदान नहीं की गई है, कानून का अलिखित आधार है। समान रूप से, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यदि यह कृत्य अनुचित है

और इसलिए इसे संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए। अंतिम न्यायालय ने अधिग्रहण की कार्यवाही को जिस सख्ती से देखा है, वह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से उजागर होता है, जिसमें कहा गया है कि इलाके में धारा 4 एन अधिसूचना के प्रकाशन जैसे प्रक्रियात्मक प्रावधानों का उल्लंघन भीपूरी अधिग्रहण कार्यवाही को प्रभावित करेगा। इतना ही नहीं, प्रकाशन अधिसूचना के साथ-साथ होना चाहिए और यदि ऐसा नहीं है, तो अधिसूचना की वैधता को बचाने के लिए प्रत्येक दिन की देरी को स्पष्ट रूप से समझाया जाना चाहिए। इसी तरह, धारा 6 (1) के परंतुक में अब एक सख्त बाहरी सीमा निर्धारित की गई है और तीन साल से अधिक की एक दिन की देरी भी राज्य को धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने से रोक देगी, इस प्रकार भूमि अधिग्रहण के किसी भी पूर्व इरादे को खत्म कर देगी। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि जहां कार्यवाही की शुरुआत भविष्य में एक भ्रामक आवश्यकता से अधिक कुछ नहीं है, न किमौजूदा सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अपरिहार्य आवश्यकता पर, वहां यह मुश्किल से टिकाऊ हो सकता है। इसी तरह, इस संदर्भ में पूरी तरह से अकर्मण्यता और टाल-मटोल से यह धारणा पैदा होगी कि वास्तव में मौजूदा सार्वजनिक उद्देश्य की तत्काल कोई आवश्यकता नहीं है और अधिग्रहण की शक्ति का प्रयोग इस प्रकार एक रंगीन होगा।

29. मामले के इस पहलू पर विचार करनेसे पहले धारा 4 अधिसूचना की वैधता को चुनौती देने के संदर्भ में सावधानी बरतना आवश्यक प्रतीत होता है। फैसले के पहले भाग में, यह देखा गया है कि धारा 6 (1) का परंतुकअब कार्यवाही शुरू होने के तीन साल के भीतर धारा 6 के तहत जारी अधिसूचना की रक्षा करता है। इसका अर्थ यह नहीं समझा जाना चाहिए कि धारा 4 के तहत मूल अधिसूचना की वैधता को चुनौती देने में ऐसी कोई सीमा या संरक्षण है। यदि रिट याचिकाकर्ता एक स्थिति में है
यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के समय भी, न तो विचार में कोई सार्वजनिक उद्देश्य था और न ही इसके त्वरित निष्पादन के लिए कोई आवश्यकता या योजना थी, याचिकाकर्ता के लिए धारा 4 के तहत अधिसूचना को चुनौती देने के लिए स्पष्ट रूप से खुला होगा। धारा4 के तहत ही अधिसूचना जारी की गई है। *इस प्रकार गुजरात राज्य परिवहन निगम के मामले* (सुप्रा) में टिप्पणियां स्पष्ट रूप से धारा 6 अधिसूचना के संदर्भ में हैं और किसी भी तरह से धारा 4 के तहत मूल अधिसूचना को चुनौती देने की रक्षा नहीं करती हैं। कानून की यह मंशा नहीं हो सकती है कि जहां कार्यवाही शुरू करने को दुर्भावना से दूषित साबित किया जा सकता है, *वहां* नागरिकों को कथित आधार पर इसे खारिज करने से पहले तीन साल और इंतजार करना चाहिए क्योंकिधारा 6 की अधिसूचना तीन साल की अवधि के भीतर जारी की जा सकती है। मेरा विचार है कि धारा 6 पर लागू विचार के बावजूद, शक्ति के रंगीन प्रयोग के आधार पर धारा 4 अधिसूचना को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ताओं के लिए तत्काल खुला है।

30. श्री जेके सिब्बल के अनुसार, इस दोहरे विवाद को स्वीकार करना आवश्यक है कि *विलंब* के आधार पर अधिग्रहण की कार्यवाही के विरुद्ध कोई रिट दायर नहीं की जाती

है और किसी भी मामले में यदि कोई उपाय नहीं है तो वह है कार्यवाही को शीघ्र पूरा करने का आदेश देना। वकील ने दलील दी कि यदि याचिकाकर्ता इस फैसले से व्यथित हैं तो उन्हें कार्यवाही को जल्द अंतिम रूप देने के लिए अदालत से केवल अनुरोध मांगना चाहिए था और केवल अनुरोध कर सकते हैं।

31. उपरोक्त तर्क विद्वान वकील की सरलता को श्रेय देता है, लेकिन गहराई से जांच से पता चलेगा कि रुख अस्थिर है। जैसा कि बार-बार कहा गया है, *मांडा* की रिट केवल तभी जारी की जा सकती है जब एक प्राधिकरण पर एक स्पष्ट सार्वजनिक कर्तव्य निर्धारित किया गया हो और याचिकाकर्ता को इसे लागू करने का समान रूप से स्पष्ट अधिकार हो। पीठ ने कहा, 'हमारे समक्ष यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि अधिनियम में ऐसी कोई सीमा नहीं दी गई है जिसके तहत धारा चार के तहत अधिसूचना की तारीख से अधिग्रहण प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाए। इस प्रकार राज्य पर सख्त निर्धारित समय के भीतर कार्य करने के लिए कोई वैधानिक कर्तव्य निर्धारित नहीं है। बेशक, जैसा कि अंतिम न्यायालय द्वारा देखा गया है, राज्य पर उचित समय के भीतर शक्ति का उपयोग करने का सामान्य कर्तव्य मौजूद है। लेकिन वास्तव में इसमें उचित समय क्या है? जाहिर है, यह एक मामले से दूसरे मामले में भिन्न होना चाहिए

मामला। इसलिए, यह अलिखित आधार *सख्त नहीं हो* सकता है कि *परमादेश* की रिट जारी की जाए। इसलिए, स्पष्ट रूप से, निर्धारित समय के भीतर अधिग्रहण की कार्यवाही को पूरा करने के लिए न तो कोई वैधानिक जनादेश हैऔर न ही दावेदार की शक्ति पर किसी भी सटीकता के साथ इस तरह के प्रवर्तन के लिए कोई लचीला अधिकार है। निस्संदेह, संविधान की धारा 226 रिट न्यायालय को किसी विशेष रिट को प्रदान करने के अलावा सहायक निदेश जारी करने का अधिकार प्रदान करती है, लेकिन यह अपने आप में परमादेश रिट के सही समकक्ष नहीं है /

32. एक बार फिर *परमादेश* जारी किए जाने के सिद्धांत के खिलाफ एक और ठोस तर्क यह है कि प्रतिवादी-राज्य कभी भी उस समय तक भूमि का अधिग्रहण करने के लिए एक वैधानिक कर्तव्य के अधीन नहीं है जब तक कि वह उसमें निहित न हो जाए। धारा 48 स्पष्ट शब्दों में राज्य को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह अपने विवेकानुसारकिसी भी भूमि के अधिग्रहण से हट सकता है, जिसका कब्जा नहीं लिया गया है। यह सामान्य खंड अधिनियम के तहत शक्ति से अलग है। इसलिए, इस संदर्भ में, कोई भी *व्यक्ति* शायद ही झूठ बोल सकता है क्योंकि यह राज्य के लिए हमेशा खुला रहेगा कि वह यह रुख अपनाए कि वह अधिग्रहण करने के लिए कानूनी बाध्य नहीं है और किसी भी मामले में किसी भी समय अधिग्रहण से हटने पर विचार कर सकता है। इसके अलावा, राज्य हमेशा कार्यवाही को अंतिम रूप देने के लिए कथित रूप से उचित समय का दावा कर सकता है। किसी मामले में उचित समय क्या है, यह निर्धारित करना आसान नहीं होगा और न ही अदालत के लिए यह उचित होगा कि वह परमादेश जारी करते समय लचीले ढंग से निर्धारित करे /

राधे शाम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
(एस.एस. संधावालिया, सी.जे.) x

33. इस संदर्भ में, याचिकाकर्ता के वकील ने समान रूप से यह तर्क दिया कि शक्ति के रंगीन प्रयोग के मामले में *परमादेश* संभवतः उचित राहत प्रदान नहीं कर सकता है। यहां शिकायत यह है कि रिट याचिकाकर्ताओं को अपनी भूमि का बाजार मूल्य प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है और वास्तव में इसे 'एक गुप्त उपकरण' द्वारा अधिग्रहित करने की मांग की गई है। इसके मूल्य को उनके * नुकसान के लिए कुटिलता से आंका गया है। ऐसी स्थिति में एक *मंडा* केवल उन बहुत कम कीमतों पर क्षतिपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है जिनके बारे में याचिकाकर्ता शिकायत करते हैं, नतीजतन, यदि रिट याचिकाकर्ता अपनी आसानी स्थापित करने में सक्षम हैं, तो एक उपाय होने से दूर *परमादेश* की रिट *केवल* उस चीज को पवित्र और लागू कर सकती है जो सार है।यह शक्ति का एक रंगीन प्रयोग है। वास्तव में, एक बार जब यह निष्कर्ष निकल जाता है कि वास्तव में शक्ति का प्रयोग केवल एक दुरुपयोग और एक रंगहीन था, तो एकमात्र उपयुक्त उपाय यह है कि लागू की गई कार्रवाई को रद्द करके *प्रमाण पत्र* जारी किया जाए।

34. कानूनीपहलू के संदर्भ में, शुरू में पूछे गए प्रश्न > उत्तर को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए और यह माना जाता है कि अधिनियम के तहत अधिग्रहण कार्यवाही को अंतिम रूप देने में अस्पष्ट रूप से अत्यधिक देरी इसे शक्ति के एक रंगीन प्रयोग के साथ दूषित कर सकती है और इस प्रकार इसे खराब कर सकती है।

35. कॉयर कमिंगोव ने कहा, "^इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि यहां कार्यवाही एक दशक पहले 8 सितंबर, 1072 को शुरू की गई थी। 29 नवंबर, 1972 को एक धारा - 6 अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें मंडी टाउनशिप के विकास के विशिष्ट उद्देश्य के लिए 35 एकड़ से अधिक भूमि निर्दिष्ट की गई थी। उन कार्यवाहियों में एक पुरस्कार प्रदान किया गया और न केवल मंडी क्षेत्र के लिए योजनाएं तैयार की गईं, बल्कि 21मार्च, 1974 को भूखंडों की नीलामी की गई। हालांकि, (धारा 6 के तहत एक और अधिसूचना 26 जुलाई, 1975 को जारी की गई थी। कोई अनुवर्ती कार्रवाई करने से दूर, प्रतिवादीराज्य लगभग छह वर्षों तक निष्क्रियता का अध्ययन करता रहा। यह स्वीकार की गई स्थिति है कि प्रतिवादीएमओ 3 से संबंधित अधिग्रहण कार्यवाही के दायरे में आने वाले कुछ क्षेत्रों को उनके द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर राज्य ने स्वयं जारी कर दिया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मंडी टाउनशिप बनाने का सार्वजनिक उद्देश्य लंबे समय से ही समाप्त हो चुका है। याचिकाकर्ताओं ने अधिग्रहण के पीछे एक गुप्त उद्देश्य का आरोप लगाया, अर्थात्; दिल्ली-मथुरा रोड पर निजी प्रतिवादियों की फियक्टरी के अग्रभाग को चौड़ा करना, हालांकि इसे अस्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि धारा 9 के तहत नोटिस धारा 4 के तहत मूल अधिसूचना से नौ साल की देरी के बाद जारी किया गया है, और इसके लिए नाम के लायक स्पष्टीकरण का कोई संकेत रिकॉर्ड पर नहीं आ रहा है। अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि धारा 9 के तहत नोटिस, जो अब मैंनेकहा है, 'याचिकाकर्ताओं की भूमि को पूरे एक दशक पहले और अधिग्रहण के मूल उद्देश्य के बाद भी निर्धारित कीमतों पर अधिग्रहित करने की शक्ति का केवल एक मामूली प्रयोग है। तदनुसार, मैं केवल याचिकाकर्ताओं के *लिए* लागू अधिसूचना और अधिग्रहण कार्यवाही को रद्द करता हूं और इस याचिका को अनुमति देता हूं। इसमें शामिल कुछ हद तक जटिल कानूनी मुद्दों को देखते हुए, पार्टियों को अपनी लागत ोंं पर निर्भर रहने के लिए छोड़ दिया जाता है।

प्रेम चंद जैन, जे-मैं (सहमत हूं। ^

आई.एस. तिवाना, जे-मैं भी सहमत हूं।

टी.एल.एस.बी.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मिताली अग्रवाल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

रेवाड़ी, हरियाणा